न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) कक्ष संख्या–2, कन्नौज।

उपस्थित : श्री रजनीश मोहन वर्मा ..... उच्चतर न्यायिक सेवा।

(J.O.CODE-UP 1672)

UPKJ010052722018

सत्र परीक्षण वाद संख्या–297/2018

राज्य बनाम **देवेन्द्र उर्फ सरवन पुत्र तोताराम**

निवासी ग्राम रायपुर थाना छिबरामऊ, जनपद कन्नौज।

मुकदमा अपराध संख्या–835/2018

धारा–306 भारतीय दण्ड संहिता

थाना कोतवाली छिबरामऊ, जनपद कन्नौज।

(प्रारूप–क)

(निर्णय दिनांक 07.05.2026)

(सत्र परीक्षण वाद संख्या–297/2018)

(अपराध संख्या–835/2016)

पुलिस थाना–छिबरामऊ, जिला–कन्नौज।

सूचनाकर्ता/वादी मुकदमा	प्रेमचन्द्र
राज्य की ओर से उपस्थित अधिवक्ता	श्री मयंक द्विवेदी
अभियुक्त	देवन्द्र उर्फ सरवन
अभियुक्त की ओर से उपस्थित अधिवक्ता	श्री शिव कुमार सिंह यादव, अधिवक्ता

(प्रारूप–ख)

घटना की तिथि	22.09.2018
प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीयन का दिनांक	23.09.2018
आरोप विरचित करने का दिनांक	24.12.2018

Digitally signed by Rajneesh Mohan Verma
Date: 2026.05.08 10:53:34 IST
Reason: Judgment
Location: Adj/ftc-2 Kannauj

(प्रारूप–ग)

अभियोजन/बचाव/न्यायालयीन साक्षीगण की सूची

क–अभियोजन साक्षीगण

साक्षी सं०	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
पी०डब्लू०1	प्रेमचन्द्र	वादी मुकदमा
पी०डब्लू०2	रामनरेश	गवाह
पी०डब्लू०3	बृजलाल	गवाह
पी०डब्लू०4	मोहरलाल	गवाह
पी०डब्लू०5	ज्ञान सिंह	गवाह
पी०डब्लू०6	प्रताप सिंह	गवाह
पी०डब्लू०7	कां० देव सिंह	चिक व कायमी जी०डी० लेखक
पी०डब्लू०8	डाक्टर आर०के० गुप्ता	चिकित्सक साक्षी
पी०डब्लू०9	राम स्वरूप	गवाह
पी०डब्लू०10	उपनिरीक्षक संतोष कुमार दुबे	विवेचक साक्षी

ख– बचाव पक्ष की आर से प्रस्तुत साक्षीगण

साक्षी सं०	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
डी०डब्लू.–1	कुसुम	गवाह

ग–अभियोजन साक्षीगण द्वारा साबित दस्तावेजीय साक्ष्य।

प्रदर्श	विवरण	साबित करने वाले साक्षी
प्रदर्श क–1	मूल तहरीर	पी०डब्लू०1
प्रदर्श क–2	पंचायतनामा	पी०डब्लू–1
प्रदर्श क–3	प्रथम सूचना रिपोर्ट	पी०डब्लू०–7
प्रदर्श क–4	कायमी जी.डी.	पी०डब्लू–7
प्रदर्श क–5	पोस्टमार्टम रिपोर्ट	पी०डब्लू०–8
प्रदर्श क–6	नक्शा नजरी	पी०डब्लू०–10

प्रदर्श क–7	फोटो लाश	पी०डब्लू०–10
प्रदर्श क–8	चालान लाश	पी०डब्लू०–10
प्रदर्श क–9	फोटो लाश	पी०डब्लू०–10
प्रदर्श क–10	आरोपपत्र	पी०डब्लू०–10

निर्णय

1. प्रस्तुत प्रकरण में थाना छिबरामऊ, जिला कन्नौज की पुलिस द्वारा अभियुक्त **देवेन्द्र उर्फ सरवन** के विरुद्ध आरोप–पत्र मुकदमा अपराध संख्या–835/2018 अन्तर्गत धारा–306 भारतीय दण्ड संहिता में प्रेषित किया गया। विद्वान न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कन्नौज द्वारा दिनांक 29.11.2018 को मामले का प्रसंज्ञान लिया गया। विद्वान न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा धारा 207 दं०प्र०सं० का अनुपालन करने के पश्चात पत्रावली दिनांक 29.11.2018 को सत्र सुपुर्द की गयी जिसके उपरान्त अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध धारा–306 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दिनांक 11.12.2018 को प्रस्तुत मामले को सत्र परीक्षण वाद के रूप में पंजीकृत किया गया तथा माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार उक्त पत्रावली इस न्यायालय को स्थानान्तरित करके प्राप्त करायी गयी।

संक्षेप में मामले के तथ्यः–

2. वादी मुकदमा के तहरीर के अनुसार संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि ''दिनांक 22.09.2018 को वादी मुकदमा जयपुर में था कि उसके भतीजे मोहर पाल ने उसको मोबाइल से सूचना दी कि सुजाता ने कीटनाशक दवा खा ली है जिससे उसकी मृत्यु हो गयी है। इसके पूर्व जब वादी घर पर था तो मालूम हुआ था कि उसकी पत्नी सविता के नाजायज सम्बन्ध देवेन्द्र उर्फ सरवन पुत्र तोताराम निवासी रायपुर थाना छिबरामऊ, से है। वादी ने जब पत्नी को कहा तो देवेन्द्र उर्फ सरवन ने उसे मारने का प्रयास किया था। वह डर की वजह से जयपुर काम करने चला गया। उसके घर पर देवेन्द्र उर्फ सरवन का आना जाना रहा। वादी की लड़की सुजाता देवेन्द्र उर्फ सरवन का विरोध करती रही, लेकिन देवेन्द्र उर्फ सरवन नहीं माना तब मेरी लड़की ने कीटनाशक दवा खाकर आत्महत्या कर ली है। वादी मुकदमा की लड़की की मृत्यु का जिम्मेदार देवेन्द्र है। अतः रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही किये जाने की याचना वादी

के द्वारा की गयी। "

3. वादी मुकदमा प्रेमचन्द्र द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली छिबरामऊ में दिनांक 23.09.2018 को अभियुक्त **देवेन्द्र उर्फ सरवन** के विरूद्ध **चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–3** मु०अ०सं० 835/2018 अन्तर्गत धारा 306 भारतीय दण्ड संहिता में पंजीकृत की गयी,जिसका खुलासा **जी०डी० कायमी प्रदर्श क–4** में किया गया।

4. मामले की विवेचना के दौरान विवेचक ने गवाहान व अभियुक्त के बयान धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अंकित किये। वादी मुकदमा की निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शा नजरी तैयार किया गया। मृतका का पोस्टमार्टम कराया गया। साक्ष्य संकलन के उपरांत विवेचक द्वारा अभियुक्त **देवेन्द्र उर्फ सरवन** के विरूद्ध धारा–306 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिये अभियुक्त के विचारण हेतु आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

आरोप का विरचन

5. संज्ञान एवं सत्र सुपुर्दगी के उपरांत न्यायालय द्वारा दिनांक 24.12.2018 को अभियुक्त **देवेन्द्र उर्फ सरवन** के विरूद्ध धारा–306 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य–

6. अभियुक्त पर लगाये गये आरोप को साबित करने के लिये अभियोजन की ओर से निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित कराया गया।

साक्षी सं०	**साक्षी का नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति**
पी०डब्लू०1	प्रेमचन्द्र	वादी मुकदमा
पी०डब्लू०2	रामनरेश	गवाह
पी०डब्लू०3	बृजलाल	गवाह
पी०डब्लू०4	मोहरलाल	गवाह
पी०डब्लू०5	ज्ञान सिंह	गवाह
पी०डब्लू०6	प्रताप सिंह	गवाह

पी०डब्लू०7	कां० देव सिंह	चिक व कायमी जी०डी० लेखक
पी०डब्लू०8	डाक्टर आर०के० गुप्ता	चिकित्सक साक्षी
पी०डब्लू०9	राम स्वरूप	गवाह
पी०डब्लू०10	उपनिरीक्षक संतोष कुमार दुबे	विवेचक साक्षी

7– अभियोजन के द्वारा निम्नलिखित प्रपत्रों को न्यायालय के समक्ष साबित किया गया।

प्रदर्श	**विवरण**	**साबित करने वाले साक्षी**
प्रदर्श क–1	मूल तहरीर	पी०डब्लू०1
प्रदर्श क–2	पंचायतनामा	पी०डब्लू–1
प्रदर्श क–3	प्रथम सूचना रिपोर्ट	पी०डब्लू०–7
प्रदर्श क–4	कायमी जी.डी.	पी०डब्लू–7
प्रदर्श क–5	पोस्टमार्टम रिपोर्ट	पी०डब्लू०–8
प्रदर्श क–6	नक्शा नजरी	पी०डब्लू०–10
प्रदर्श क–7	फोटो (मृतका शरीर)	पी०डब्लू०–10
प्रदर्श क–8	चालान (मृतका शरीर)	पी०डब्लू०–10
प्रदर्श क–9	फोटो (मृतका शरीर)	पी०डब्लू०–10
प्रदर्श क–10	आरोपपत्र	पी०डब्लू०–10

8. अभियोजन साक्ष्य की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा 313 द.प्र.सं. लेखबद्ध किया गया। अभियुक्त देवेन्द्र उर्फ सरवन ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में अभियोजन कथानक को गलत होने, मृतका सुजाता को दूर का रिश्तेदार होने का कथन किया। अभियोजन गवाहान द्वारा झूठी गवाही देने का कथन किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक, चिकित्सक साक्षी के बयान के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहने का विकल्प चुना तथा विवेचक द्वारा गलत विवेचना करने, मुकदमा गलत चलाए जाने का कथन किया है।

सफाई साक्ष्य

9. अभियुक्त की ओर से अपने सफाई साक्ष्य में डी०डब्लू०–1 के रूप में कुसुम को परीक्षित कराया गया है।

अभियोजन व बचाव पक्ष के तर्क

10. न्यायालय द्वारा अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान शासकीय अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुये कथन किया गया कि अभियुक्त देवेन्द्र उर्फ सरवन पर लगाए गये आरोप अन्तर्गत धारा 306 भा०दं०सं० को अभियोजन के द्वारा साबित किया गया है। अतः अभियुक्त को विधिक के अन्तर्गत प्रावधानित अधिकतम दण्ड से दण्डित किये जाने की याचना की गयी है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वादी मुकदमा प्रेमचन्द्र ने अपने साक्ष्य में इस तथ्य को साबित किया है कि उसकी पुत्री ने उसे बताया था कि देवेन्द्र उर्फ सरवन कहता था कि तुम्हे मेरे व सविता के सम्बन्ध पसन्द नहीं हैं तो जाकर कहीं मर जाओ या आत्महत्या कर लो। इसके अतिरिक्त साक्षी पी.डब्लू.–2, पी.डब्लू.–3, साक्षी पी.डब्लू.–4 व अन्य साक्षियों ने अभियुक्त पर लगाए गये आरोप को साबित किया है। इसके विपरीत अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष तर्क प्रस्तुत किया गया है कि धारा 306 भा०दं०सं० के अपराध साबित करने के लिए आवश्यक तथ्यों को अभियोजन द्वारा किसी भी साक्षी से साबित नहीं किया गया है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि चिकित्सक ने अपने चिकित्सीय आख्या में और साथ ही साथ अपने बयानों में यह साक्ष्य दिया है कि मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वादी मुकदमा तथा अभियुक्त के बीच समरसेविल लगाने को लेकर उक्त समरसेविल के बकाया धनराशि की मांग को लेकर रंजिश थी, जिसके कारण वादी मुकदमा ने अभियुक्त देवेन्द्र उर्फ सरवन को झूंठे मुकदमे में फंसा दिया है। अभियोजन के द्वारा आत्महत्या करने के लिए उत्प्रेरित करने अथवा उत्प्रेरित करने के सम्बन्ध में कोई भी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है और बिना उक्त साक्ष्य के अभियोजन द्वारा लगाए गये आरोप साबित नहीं होते हैं। अतः अभियुक्त

दोषमुक्त का अधिकारी है। लिहाजा उसे दोषमुक्त कर दिया जाए।

अवधारणीय बिन्दु

11. उभयपक्षों के तर्कों के आलोक में पत्रावली का परिशीलन करने के उपरांत न्यायालय का मत है कि निम्नलिखित अवधारणीय बिन्दु निष्कर्ष पर पहुंचने तथा साक्ष्यों का विश्लेषण करने के लिये आवश्यक व समीचीन हैः–

1. क्या अभियोजन के द्वारा यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया गया कि दिनांक 22.09.2018 को वादी मुकदमा की पुत्री मृतका सुजाता ने कीटनाशक दवा खाकर आत्महत्या कर ली थी?

2. क्या अभियोजन यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है कि देवेन्द्र उर्फ सरवन ने वादी मुकदमा की पुत्री मृतका सुजाता को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया था?

अवधारणीय बिन्दु संख्या–1 का निस्तारण

12. यह अवधारणीय बिन्दु संख्या–1 इस आशय का विरचित किया गया है कि **क्या अभियोजन के द्वारा यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया गया कि दिनांक 22.09.2018 को वादी मुकदमा की पुत्री मृतका सुजाता ने कीटनाशक दवा खाकर आत्महत्या कर ली थी? इस अवधारणीय बिन्दु के सन्दर्भ में अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार किया जाय तो साक्षी पी०डब्लू०–1 वादी मुकदमा प्रेमचन्द्र ने** अपने **मुख्य परीक्षा** के बयान में कथन किया है कि,"दिनांक 21/22.09.2018 की रात की बात है। मुझे मेरे भतीजे मोहर लाल ने फोन से सूचना दी कि तुम्हारी लड़की लड़की सुजाता ने कीटनाशक खाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना पर मैं जयपुर से वापस अपने गांव आया। मेरी पुत्री ने पहले मुझे बताया था कि पापा देवेन्द्र मुझसे कहता है कि तुम्हे, मेरे व सविता के सम्बन्ध पसन्द नहीं है तो तुम जाकर कहीं मर जाओ या आत्महत्या कर लो। मेरी पत्नी सविता व देवेन्द्र उर्फ सरवन के नाजायज सम्बन्धों की मुझे पहले से ही जानकारी थी। देवेन्द्र ने मुझे भी मारने की धमकी दी थी। इसी वजह से मैं जयपुर कार्य करने चला गया था। उक्त घटना की रिपोर्ट मैंने लिखाने हेतु अपने बहनोई जगमोहन से बोल कर लिखा कर एक प्रार्थनापत्र थाने पर दिया था। इसके आधार पर मेरी रिपोर्ट लिखी गयी थी। रिपोर्ट लिखने के बाद मेरी लड़की सुजाता का

पंचायतनामा भरा गया था। पंचायतनामा भरने के बाद दरोगा जी ने पंचायतनामा पर मेरे दस्तखत करवाए थे। इसके बाद मेरी पुत्री सुजाता के शव को कपड़े में रख कर सिलकर शीलकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया था। रिपोर्ट लिखाने के अगले दिन दरोगा जी ने मुझसे पूछताछ की थी। मैंने उन्हें यह सारी बातें बता दी थी। मेरी लड़की ने देवेन्द्र उर्फ सरवन की प्रताड़ना से आहत होकर कीट नाशक खाकर आत्महत्या कर ली है। मेरी लड़की सुजाता की मौत का जिम्मेदार देवेन्द्र उर्फ सरवन है।" मूल तहरीर पत्रावली में कागज संख्या 4A/3 पर मौजूद है, इस पर अपने हस्ताक्षर को तस्दीक करते हुये वादी मुकदमा ने इसे **प्रदर्श क–1 के रूप में साबित किया है तथा** मूल पंचायतनामा कागज संख्या 7A/13 लगायत 7A/14 को **प्रदर्श क–2** के रूप में साबित किया है।

13. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक को साबित करने के लिये **साक्षी पी०डब्लू०–2 रामनरेश** को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी के द्वारा अपने **मुख्य परीक्षा** के बयान में कथन किया है कि,"दिनांक 22.09.2018 की रात में मेरी भतीजी सुजाता ने कीट नाशक दवा खा ली थी, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी थी। सुजाता का पंचायतनामा दिनांक 23.09.2018 को दरोगा जी ने मेरे सामने भरा था। मुझे भी पंचायतनामा का गवाह बनाया था। पंचायतनामा की कार्यवाही के बाद सुजाता के शव को मौके पर ही एक कपड़े में रख कर सील कर सर्व मोहर किया था और पोस्टमार्टम हेतु भेजा था। पंचायतनामा पत्रावली में प्रदर्श क–2 के रूप में मौजूद है। मैं इस पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूं। इसके सम्बन्ध में दरोगा जी ने मुझसे पूछताछ की थी और मैंने उन्हें यही सारी बता दी थी। यह कहना सही है कि सुजाता ने अपनी मां सावित्री देवी के नाजायज सम्बन्ध देवेन्द्र उर्फ सरवन से होने के कारण कीट नाशक पी कर आत्महत्या की थी। घटना वाले दिन भी देवेन्द्र उर्फ सरवन सुजाता के घर पर मौजूद था एवं सुजाता के पिता घर पर नहीं थे। सुजाता की मृत्यु सुजाता की मां सावित्री देवी और देवेन्द्र उर्फ सरवन के बीच में रहे अवैध सम्बन्ध की वजह से हुई। यही सभी बातें दरोगा जी को बता दी थी।

14. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक को साबित करने के लिये **साक्षी पी०डब्लू०–3 बृजपाल** को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी के द्वारा अपने

मुख्य परीक्षा के बयान में कथन किया है कि,"आज से लगभग दस माह पूर्व की बात है। प्रेम चन्द्र की लड़की सुजाता की मृत्यु जहर खाने से हो गयी थी। सुजाता मे देवेन्द्र उर्फ सरवन प्रताड़ित करता था इस कारण उसने जहर खाकर आत्महत्या की थी। देवेन्द्र उर्फ सरवन के नाजायज सम्बन्ध प्रेमचन्द्र की घरवाली से थे और इसका आना जाना प्रेमचन्द्र के घर पर था, जिसका विरोध प्रेमचन्द्र की लड़की सुजाता करती थी। इसी कारण देवेन्द्र उर्फ सरवन सुजाता को प्रताड़ित करता था। सुजाता का पंचायतनामा अगले करीब 12.00 बजे दिन में मेरे सामने भरा गया था, जिसपर पुलिस वालों ने मेरे हस्ताक्षर कराए थे। गवाह ने प्रदर्श क–2 के रूप में पंचायतनामा पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की है। इस घटना के सम्बन्ध में मैंने सारी बातें दरोगा जी को बता दी थी।

15. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक को साबित करने के लिये **साक्षी पी०डब्लू०–4 मोहर पाल** को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी के द्वारा अपने **मुख्य परीक्षा** के बयान में कथन किया है कि," आज से लगभग दस महीने पहले की बात है। मेरी चचेरी बहन सुजाता ने कीट नाशक दवा पीकर आत्म हत्या कर ली थी। इसकी सूचना मैंने अपने चाचा प्रेमचन्द्र को फोन द्वारा दी थी, जो कि जयपुर में उस समय थे। देवेन्द्र उर्फ सरवन के नाजायज ताल्लुकात मेरी चाची सविता देवी से थे तथा देवेन्द्र उर्फ सरवन का चाची के घर पर बराबर आना जाना था। मैं यह नहीं बता सकता हूं कि सुजाता ने कीट नाशक किस वजह से खाया था। मेरी चाची सविता जोकि प्रेमचन्द्र की पत्नी है आज भी देवेन्द्र उर्फ सरवन के साथ अवैध रूप से नाजायज सम्बन्ध बनाकर रह रही है। "

16. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक को साबित करने के लिये **साक्षी पी०डब्लू०–5 ज्ञान सिंह** को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी के द्वारा अपने **मुख्य परीक्षा** के बयान में कथन किया है कि," मेरे चाचा प्रेमचन्द्र जयपुर में काम करते हैं। प्रेमचन्द्र की पत्नी सविता गांव में ही रहती थी। मेरी चाची सविता का चाल चलन ठीक नही थी। मेरे चाचा प्रेमचन्द्र की गैर हाजिरी में देवेन्द्र उर्फ सरवन कुमार अक्सर उनके घर आता जाता था तथा चाची सविता से अवैध सम्बन्ध बनाते हुए उन्हीं के घर में रहने लगा था। प्रेमचन्द्र की लड़की सुजाता जोकि सविता के साथ ही रहती थी, उसने अपनी मां सविता को देवेन्द्र उर्फ सरवन के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख

लिया था, जिससे क्षुब्ध होकर सुजाता ने कोई चीज खा ली थी, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी थी। पुलिस मौके पर आयी थी। पुलिस ने मेरी भतीजी सुजाता का पंचायतनामा मेरे सामने भरा था। मेरे अलावा प्रेमचन्द्र, रामनरेश, बहराम सिंह जोकि प्रधान है, बृजलाल को भी पंचान नियुक्त किया गया था। हम पंचों की राय में सुजाता की मृत्यु कोई कीट नाशक दवा खाने से हो गयी थी। मृत्यु का सही कारण जानने के लिए सुजाता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजी गयी थी। पंचायतनामा पत्रावली पर कागज सं० 7A/13 लगायत 7A/14 मौजूद है, जिसपर मेरे हस्ताक्षर है, जिसकी मैं पुष्टि करता हूं। इसपर प्रदर्श क–2 पूर्व से पड़ा है। "

17. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक को साबित करने के लिये **साक्षी पी०डब्लू०–7 कां० देव सिंह** को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी के द्वारा अपने **मुख्य परीक्षा** के बयान में कथन किया है कि," दिनांक 23.09.2018 को मैं थाना छिबरामऊ में कॉ० क्लर्क के पद पर तैनात था। उस दिन मुकदमा वादी प्रेमचन्द्र पुत्र राम प्रसाद निवासी बड़ेपुर थाना छिबरामऊ, जनपद कन्नौज मेरे समक्ष लिखित तहरीर लेकर आए थे, जिसके आधार पर मेरे द्वारा मु०अ०सं० 835/2018 धारा 306 भारतीय दण्ड संहिता बनाम देवेन्द्र उर्फ सरमन के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट कम्प्यूटर पर तैनात आपरेटर अभिनव गुप्ता से बोल बोक कर शब्द व शब्द किता करायी थी। पत्रावली पर कागज सं०–4A/1 लगायत 4A/2 मौजूद है, जिसपर थाना प्रभारी के हस्ताक्षर है, जिसकी मैं पुष्टि करता हूं। इसपर प्रदर्श क–3 डाला गया। मेरे द्वारा उसी दिन उसी क्रम में की गयी कायमी रोजनामचा आम पर रपट नं० 19 समय 9.57 बजे किया गया था, जो पत्रावली पर कागज संख 58/3 मौजूद है, जिसकी मैं पुष्टि करता हूं, इसपर प्रदर्श क–4 डाला गया। "

18. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक को साबित करने के लिये **साक्षी पी०डब्लू०–8 डाक्टर आर०के० गुप्ता** को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी के द्वारा अपने **मुख्य परीक्षा** के बयान में कथन किया है कि," दिनांक 23.09.2018 को PHC मानीमऊ में चिकित्साधिकारी के पद पर कार्रत था। उस दिन मेरी ड्यूटी शव विच्छेदनगृह कन्नौज में थी। उस दिन मेरे समक्ष थाना छिबरामऊ के कां० 4 जितेन्द्र, होमगार्ड 610 उमेश मृतका सुजाता पुत्री प्रेमचन्द्र, निवासी ग्राम बड़ेपुर थाना

छिबरामऊ जनपद कन्नौज उम्र 15 वर्ष को मेरे समक्ष समय 2.30 Pm पर शव विच्छेदन हेतु लेकर आए थे। मृतका सुजाता का शव विच्छेदन समय 2.40 Pm पर प्रारम्भ कर 3.30 Pm पर समाप्त किया गया था। मृतका सुजाता के शव की पहचान प्रेमचन्द्र पुत्र स्व० राम प्रसाद, रामनरेश पुत्र सालिग राम ग्राम बड़ेपुर थाना छिबरामऊ जनपद कन्नौज द्वारा की गयी थी। मृतका की कद काठी सामान्य थी।

वाह्य परीक्षण–

मृतका के शरीर में मृत्यु के पश्चात आयी अकड़न चारो हाथों पैरों में थी। पी०एम० स्टेनिंग पश्व भाग की तरफ थी तथा मुंह व नाक से झाग आ रहा था। चेहरा कन्जेस्टेड था। परिवार वालों का कहना था कि मृतका का शरीर मृत्यु के पश्चात बर्फ के ऊपर रखा गया था। आंखे तथा मुंह बन्द था। मृतका के शरीर में मृत्यु से पहले व मृत्यु के पश्चात किसी भी प्रकार की कोई चोटें नहीं पायी गयी।

आन्तरिक परीक्षण–

मृतका का दिमाग व दिमाग की झिल्लियां कन्जेस्टेड थी। दांतों की संख्या 15/16 थी। दोनों फेफड़े, यकृत, स्पलीन दोनों गुर्दे कन्जेस्टेड थे। हृदय के दोनों चैम्बर रक्त से भरे थे। आमाशय में दो सौ पचास एम०एल० लगभग सेमी सॉलिड खाद्य पदार्थ था, जिसमें रसायनिक महक आ रही थी तथा आमाशय की वाल लाल रंग की थी। छोटी आंत गैस तथा पेस्टी खाद्य पदार्थ था। बड़ी आत में गैसीय तथा पेस्ट्री मल पदार्थ था। मूत्राशय में लगभग पचास ML मूत्र मौजूद था। बच्चेदानी खाली थी।

राय–

मेरी राय में मृतका की मृत्यु लगभग डेढ़ दिन पूर्व शव विच्छेदन करते समय से हुई होगी। मृतका की मृत्यु का कारण शव विच्छेदन से निश्चित नही किया जा सका। मृतका के शरीर से विसरा रासयनिक परीक्षण के लिए संरक्षित किए गए थे, जो कि 6 Vial में तथा 1 Vial सैम्पल सत्यापन के साथ सील बन्दकर थानाध्यक्ष छिबरामऊ को रासायनिक परीक्षण हेतु भेजने के लिए भेजे गये थे। विसरा की रिसीविंग फारेन्सिक लैव महानगर लखनऊ दिनांक 03.11.2018 की प्रति पत्रावली में मौजूद है, लेकिन विसरा की रिपोर्ट पत्रावली में मौजूद नहीं है। शव विच्छेदन के पश्चात मृतका का शव तथा विसरा सील बन्द हालत में का० 04 जितेन्द्र शर्मा को सौंपा गया था। मृतका सुजाता

की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पत्रावली पर कागज संख्या–7A/2 लगायत 7A/11 मौजूद है इस रिपोर्ट को इस साक्षी ने **प्रदर्श क–5** के रूप में साबित किया है।

19. वादी मुकदमा व अन्य अभियेाजन साक्षियों ने अपने मुख्य परीक्षा के साक्ष्य में इस तथ्य का साक्ष्य दिया है कि मृतका सुजाता ने कीटनाशक दवा खाकर आत्महत्याा कर ली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाबत परीक्षित साक्षी पी.डब्लू.–8 डाक्टर आर०के० गुप्ता ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि पोस्टमार्टम से मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हो सका था इसलिये विसरा संरक्षित किया गया था। यहां पर यह उल्लेख किया जाना समीचीन है कि अभियेाजन के द्वारा विसरा परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया गया है। जहां तक वैज्ञानिक परीक्षण के अतिरिक्त मौखिक साक्ष्य का प्रश्न है, वादी मुकदमा तथा अन्य अभियोजन साक्षियों ने इस तथ्य को अपने बयानों में कहा है कि मृतका सुजाता ने कीटनाशक दवा खाकर आत्महत्या कर ली थी। अतः मौखिक साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित है कि मृतका सुजाता ने कीटनाशक दवा खा ली थी जिसके उपरांत उसकी मृत्यु हो गयी थी और इस तथ्य की सूचना पी.डब्लू.4 मोहर पाल ने वादी मुकदमा को दी थी। अतः अवधारणीय बिन्दु संख्या–1 तदनुसार निस्तारित किया जाता है।

निस्तारण अवधारणीय बिन्दु संख्या–2

20. यह अवधारणीय बिन्दु संख्या–2 इस आशय का विरचित किया गया है कि, क्या अभियोजन यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है कि देवेन्द्र उर्फ सरवन ने वादी मुकदमा की पुत्री मृतका सुजाता को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया था? इस अवधारणीय बिन्दु के सम्बन्ध में साक्ष्यों के विश्लेषण करने से पूर्व न्यायालय का मत है कि इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा धारा 306 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप के साबित होने के सम्बन्ध में प्रतिपादित सिद्धांतों का उल्लेख किया जायॅ। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **Jayedeep pravinshinh chavda and others Vs State of Gujarat 2024 INSC960** में यह प्रतिपादित किया गया है कि–"18. For a conviction under Section 306 of the IPC, it is a well-established legal principle that the presence of clear mens rea—the intention to abet the act—is essential. Mere harassment, by itself, is not sufficient to find an accused guilty of abetting suicide. The prosecution must demonstrate an active or direct action by the accused that led the deceased to take his/her own life. The

element of mens rea cannot simply be presumed or inferred; it must be evident and explicitly discernible. Without this, the foundational requirement for establishing abetment under the law is not satisfied, underscoring the necessity of a deliberate and conspicuous intent to provoke or contribute to the act of suicide."

इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि–व्यवस्था–Ude singh and others Vs State of Haryana 2019 INSC 810 में माननीय न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि,"16. In cases of alleged abetment of suicide, there must be a proof of direct or indirect act(s) of incitement to the commission of suicide. It could hardly be disputed that the question of cause of a suicide, particularly in the context of an offence of abetment of suicide, remains a vexed one, involving multifaceted and complex attributes of human behaviour and responses/reactions. In the case of accusation for abetment of suicide, the court would be looking for cogent and convincing proof of the act(s) of incitement to the commission of suicide. In the case of suicide, mere allegation of harassment of the deceased by another person would not suffice unless there be such action on the part of the accused which compels the person to commit suicide; and such an offending action ought to be proximate to the time of occurrence. Whether a person has abetted in the commission of suicide by another or not, could only be gathered from the facts and circumstances of each case.

16.1. For the purpose of finding out if a person has abetted commission of suicide by another, the consideration would be if the accused is guilty of the act of instigation of the act of suicide. As explained and reiterated by this Court in the decisions above referred, instigation means to goad, urge forward, provoke, incite or encourage to do an act. If the persons who committed suicide had been hypersensitive and the action of the accused is otherwise not ordinarily expected to induce a similarly circumstanced person to commit suicide, it may not be safe to hold the accused guilty of abetment of suicide. But, on the other hand, if the accused by his acts and by his continuous course of conduct creates a situation which leads the deceased perceiving no other option except to commit suicide, the case may fall within the four corners of Section 306 IPC. If the accused plays an active role in tarnishing the self-esteem and self-respect of the victim, which eventually draws the victim to commit suicide, the accused may be held guilty of abetment of suicide. The question of mens rea on the part of the accused in such cases would be examined with reference to the actual acts and deeds of the accused and if the acts and deeds are only of such nature where the accused intended nothing more than harassment or snap show of anger, a particular case may fall short of the offence of abetment of suicide. However, if the accused kept on irritating or annoying the

deceased by words or deeds until the deceased reacted or was provoked, a particular case may be that of abetment of suicide. Such being the matter of delicate analysis of human behavior, each case is required to be examined on its own facts, while taking note of all the surrounding factors having bearing on the actions and psyche of the accused and the deceased.
16.2. We may also observe that human mind could be affected and could react in myriad ways; and impact of one's action on the mind of another carries several imponderables. Similar actions are dealt with differently by different persons; and so far a particular person's reaction to any other human's action is concerned, there is no specific theorem or yardstick to estimate or assess the same. Even in regard to the factors related with the question of harassment of a girl, many factors are to be considered like age, personality, upbringing, rural or urban set-ups, education, etc. Even the response to the ill action of eve teasing and its impact on a young girl could also vary for a variety of factors, including those of background, self-confidence and upbringing. Hence, each case is required to be dealt with on its own facts and circumstances."

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था–**Patel Babu Bhai Manohardas** & **ors Vs State of Gujarat** 2025 **Live Law** (**SC**) **288** में भी उपरोक्त सिद्धांतों को पुनः दोहराया है। अतः स्पष्ट है कि धारा 306 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप साबित होने के लिये भारतीय दण्ड संहिता की धारा 107 में परिभाषित दुष्प्रेरण के आवश्यक तत्वों का साबित होना अनिवार्य है।

21. माननीय उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त विधि व्यवस्थओं में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में प्रस्तुत मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में साक्ष्य पर विचार किया जायें तो वादी मुकदमा ने अपनी मुख्य परीक्षा में अपनी तहरीर को प्रदर्श क–1 के रूप में साबित किया है। यहां पर वादी मुकदमा की तहरीर के कथनों पर विचार किया जायें तो इसने अपनी तहरीर में कथन किया है कि–

> "दिनांक 22.09.2018 को मैं जय पुर में था कि मेरे भतीजे मोहरपाल ने मुझको मोबाइल से सूचना दी कि सुजाता ने कीटनाशक दवा खा ली है जिससे मृत्यु हो गयी है। इसके पूर्व जब मैं घर पर गया था तो मालूम हुआ था कि मेरी पत्नी सबिता के नाजायज सम्बन्ध देवेन्द्र उर्फ सरवन पुत्र तोताराम निवासी रायपुर थाना छिबरामउ से है। मैंने जब पत्नी को कहा तो देवेन्द्र उर्फ सरवन ने मुझे मारने का प्रयास किया था। मैं डर की वजह से जयपुर काम करने चला गया। मेरी घर पर देवेन्द्र उर्फ सरवन का आना

जाना रहा। मेरी लड़की सुजाता, देवेन्द्र उर्फ सरवन का विरोध करती रही, लेकिन देवेन्द्र नहीं माना तब मेरी लड़की ने कीटनाशक दवा खाकर आत्महत्या कर ली है। ”

उक्त तहरीर में वादी मुकदमा द्वारा जो कारण दर्शित किया गया है उससे कहीं पर भी अभियुक्त देवेन्द्र उर्फ सरवन के द्वारा धारा 107 भारतीय दण्ड संहिता में परिभाषित दुष्प्रेरण के आवश्यक तत्वों के रूप में उकसाने, या षडयंत्र के अनुसरण में मृतका को स्वयं मृत्यु कारित करने के लिये प्रेरित करने के आशय से कोई कार्य या लोप करने अथवा कार्य या लोप के द्वारा साशय सहायता करने के कृत्य का कोई आरोप नहीं लगाया है। यदि प्रस्तुत मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये इस बात पर विचार किया जायॅ कि वादी मुकदमा की पत्नी का अभियुक्त के साथ कथित संबंध होना मृतका के आत्महत्या करने का मुख्य कारण है तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त के साथ–साथ वादी मुकदमा की पत्नी भी समान रूप से दोषी होगी, परन्तु अभियोजन के द्वारा वादी मुकदमा की पत्नी को प्रस्तुत मामल में आरोपी नहीं बनाया गया।

22. अब यहीं पर वादी मुकदमा के बयान अन्तर्गत धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा वादी मुकदमा के द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये मुख्य परीक्षा के बयान का अवलोकन किया जायॅ तो स्पष्ट है कि वादी मुकदमा ने न तो अपनी तहरीर में और न ही विवेचना के दौरान विवेचक को ऐसा कोई बयान दिया था जो मृतका सुजाता को अभियुक्त के द्वारा उकसाये जाने का तथ्य प्रकट करता हो, परन्तु न्यायालय के समक्ष मुख्य परीक्षा में वादी मुकदमा के द्वारा प्रथम बार यह कथन किया गया कि "मेरी लड़की ने पहले मुझे बताया था कि पापा देवेन्द्र मुझसे कहता है कि तुम्हे मेरे व सविता के संबंध पसन्द नहीं है तो तुम जाकर कहीं मर जाओं या आत्महत्या कर लो।" यहां पर यह उल्लेखनीय है कि मुख्य परीक्षा में वादी मुकदमा द्वारा किया गया उपरोक्त कथन वस्तुतः बाद में सोच–समझकर दिया गया बयान है। यदि वादी मुकदमा का उक्त कथन वास्तविक रूप में सत्य होता तो यह कथन निश्चित रूप से वादी मुकदमा के द्वारा अपनी तहरीर में भी लिखा गया होता क्येांकि वादी मुकदमा ने अपनी जिरह में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि **" रिपोर्ट वकील साहब से लिखायी थी। अपने रिश्तेदार वकील पिण्टू से लिखायी थी जो मेरे रिश्तेदार है।"** एक वकील के द्वारा तैयार की गयी

तहरीर में इतना महत्वपूर्ण तथ्य का अंकन न करना यह दर्शित करने के लिये पर्याप्त है कि वादी मुकदमा द्वारा न्यायालय के समक्ष मुख्य परीक्षा में दिये गया उपरोक्त बयान बाद में किया गया सुधार (Improvement) है, जिसका आशय आरोप को तरतीब देना है। अभियेाजन के द्वारा अन्य कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह दर्शित होता हो कि वादी मुकदमा की पत्नी तथा अभियुक्त देवेन्द्र उर्फ सरवन के संबंध के बावत जो भी कथन वादी मुकदमा ने किये है उनका सीधा सम्बन्ध वादी मुकदमा की पुत्री सुजाता के आत्महत्या करने से है।

23. वादी मुकदमा की जिरह का अवलोकन किया जाय तो इसने अपनी जिरह में कथन किया है कि **"मेरे रिश्तेदारों द्वारा जो बताया गया था वही मैंने रिपोर्ट में लिखाया था। घटना के समय मैं घर पर मौजूद नहीं था। मैं माह मई में जयपुर चला गया था। उसी वर्ष माह सितम्बर में यह घटना हुयी। इस बीच में मेरी, मेरी पत्नी से करीब डेढ माह बाद बात हुयी थी। जयपुर में मेरे पास भतीजा मोहरपाल मुझे फोन करता था, वही मुझे घर परिवार की जानकारी फोन से देता था। मुल्जिम के संबंध में जानकारी मेरी लड़की सुजाता ने दी थी। घटना से एक माह पहले जानकारी दी थी, पुत्री के अलावा अन्य किसी गांव वाले ने मुझे जानकारी नहीं दी थी। पुत्री के बताने पर मैं घर पर आया था, लेकिन मुल्जिम के खिलाफ कोई प्रार्थनापत्र नहीं दिया था।**" अतः इस साक्षी ने जो कि स्वयं वादी मुकदमा है, अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि घटना के समय वह मौके पर मौजूद नहीं था। वादी मुकदमा पी.डब्लू.–1 के साक्ष्य में अभियुक्त का सम्बन्ध वादी मुकदमा की पत्नी से होना और इसी कारण से मृतका सुजाता के द्वारा विरोध करना और इसी अनुक्रम में सुजाता के द्वारा आत्महत्या करने के तथ्य दर्शित करने का प्रयास किया गया है, परन्तु इस संदर्भ में न्यायालय का यह मत है कि **वादी मुकदमा के उक्त साक्ष्य मात्र से कहीं पर भी अभियुक्त के द्वारा वादी मुकदमा की पुत्री सुजाता को आत्महत्या करने के लिये दुष्प्रेरित करने का तथ्य साबित नहीं होता है।** इसके अतिरिक्त वादी मुकदमा ने अभियुक्त के द्वारा वादी मुकदमा को मारने का प्रयास का कथन तहरीर व मुख्य परीक्षा में किया गया है और यह भी कहा गया है कि वह डर के काम करने जयपुर चला गया, यह सामान्य प्रज्ञा के व्यक्ति के समझ से परे है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के पत्नी के साथ किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार का संबंध

रखना और उसके बाद भी उस व्यक्ति को मारने का प्रयास करने के बाद भी सम्बन्धित व्यक्ति के द्वारा किसी के कोई शिकायत न करना या आपत्ति न करना कोई सामान्य बात नहीं है।

24. अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षी पी.डब्लू.–2 रामनरेश के साक्ष्य का अवलोकन किया जायॅ तो अभियोजन के द्वारा इस साक्षी से मुख्य परीक्षा में ही सूचक प्रश्न पूछे गये है जिसमें सुझाव का उत्तर देते हुये इस साक्षी ने कथन किया है कि – "यह कहना सही है कि सुजाता ने अपनी मां सावित्री देवी के नाजायज संबंध देवेन्द्र उर्फ सरवन से होने के कारण कीटनाशक पीकर आत्महत्या की थी। घटनावाले दिन भी देवेन्द्र उर्फ सरवन सुजाता के घर पर मौजूद था एवं सुजाता के पिता घर पर नहीं थे। सुजाता की मृत्यु सुजाता की मां सावित्री देवी और देवेन्द्र उर्फ सरवन के बीच रहे अवैध सम्बन्ध की वजह से हुयी थी। यहीं सब बातें दरोगाजी को भी बतायी थी।" इस साक्षी के उपरोक्त कथन सूचक प्रश्न के रूप में दिये गये सुझाव के उत्तर में आये है जो विधिनुसार मुख्य परीक्षा में नहीं पूछे जा सकते हैं। यदि इस कथन को सत्य भी मान लिया जायॅ तो भी यह किसी भी प्रकार से आत्महत्या के लिये दुष्प्रेरित करने के तथ्य को साबित करने के लिये पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। दुष्प्रेरण के लिये मृतका को उकसाने जैसा अभियुक्त का कोई कृत्य उक्त साक्ष्य से प्रकट नहीं होता है।

25. इसी प्रकार अभियोजन के द्वारा परीक्षित साक्षी पी.डब्लू.–3 बृजलाल के साक्ष्य का अवलोकन किया जायॅ तो इसने अपनी मुख्य परीक्षा में वादी मुकदमा पी.डब्लू.–1 तथा अभियोजन साक्षी पी.डब्लू.–2 से आगे बढ़कर अपने बयान में कथन किया है कि " देवेन्द्र उर्फ सरवन के नाजायज संबंध प्रेमचन्द्र की घरवाल से थे और इसका आना जाना प्रेमचन्द्र के घर पर था जिसका विरोध प्रेमचन्द्र की लड़की सुजाता करती थी। इसी कारण देवेन्द्र उर्फ सरवन सुजाता को प्रताड़ित करता था।" यहां पर यह उल्लेख किया जान समीचीन है कि इस साक्षी ने अपनी जिरह में कहा है कि अभियुक्त सरवन इसकी जानकारी में दो–तीन बार आया था और फिर आगे कहा है कि आते–जाते रहते है। देवेन्द्र उर्फ सरवन ने जगह लेकर निहास भरवायी है और सरवन ने प्रेमचन्द्र के घर पर समर लगवायी है। मैंने प्रेमचन्द्र की पत्नी को छेड़ते हुये अभियुक्त सरवन को नहीं देखा था। प्रेमचन्द्र की लड़की सुजाता घटना के समय लगभग 13 साल की होगी।

यह प्रेमचन्द्र की बड़ी लड़की है। यह प्रेमचन्द्र की पहली शादी की लड़की है।" इस साक्षी के जिरह में आये उपरोक्त कथन से यह तथ्य प्रथम बार न्यायालय के समक्ष प्रकट हुआ है कि मृतका सुजाता वादी मुकदमा की पहली पत्नी की पुत्री थी और वादी मुकदमा के द्वारा अपनी जिस पत्नी का अवैध संबंध अभियुक्त से होना बताया जा रहा है वह उसकी दूसरी पत्नी है। यहां पर यह भी उल्लेख किया जाना समीचीन है कि साक्षी पी.डब्लू.–3 बृजलाल के अलावा इसके पूर्व परीक्षित किसी भी साक्षी ने अभियुक्त के द्वारा मृतका सुजाता को प्रताड़ित करने का कथन नहीं किया है। इस साक्षी ने भी अपने साक्ष्य में यह स्पष्ट नहीं किया है कि अभियुक्त के द्वारा मृतका सुजाता को किस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता था?प्रताड़ित करने की प्रकृति क्या थी?और प्रताड़ित करने की कोई घटना कब और किस समय इस साक्षी ने देखी थी। अतः मात्र यह कह देने से कि अभियुक्त प्रताड़ित करता था, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि अभियुक्त का कृत्य आत्महत्या के लिये दुष्प्रेरित करने का प्रभाव रखता था।

26. अब यहीं पर साक्षी पी.डब्लू.–4 मोहर पाल के साक्ष्य का अवलोकन किया जायॅ तो यह वादी मुकदमा का वही भतीजा है जिसने वादी मुकदमा को घटना की सूचना दी थी। इसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि ***वह यह नहीं बता सकता कि सुजाता ने कीटनाशक किस वजह से खाया था।*** इस साक्षी ने अपनी जिरह में कथन किया है कि ***इसने देवेन्द्र उर्फ सरवन व प्रेमचन्द्र की पत्नी को आपत्तिजनक स्थिति में नहीं देखा था। गांव में अवैध संबंध वाली बात सुनी थी। मेरी जानकारी में देवेन्द्र उर्फ सरवन दो–चार बार मेरे गांव आया था।*** अतः इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा एवं जिरह में कहीं पर भी देवेन्द्र उर्फ सरवन के द्वारा मृतका सुजाता को किसी प्रकार से प्रताड़ित करने अथवा दुष्प्रेरित करने का साक्ष्य नहीं दिया है।

27. अब यहीं पर अभियुक्त की ओर से बचाव साक्ष्य में प्रस्तुत साक्षी डी.डब्लू.–1 कुसुम के साक्ष्य का अवलोकन किया जायॅ तो स्पष्ट है कि यह साक्षी प्रस्तुत मामले की मृतका सुजाता की छोटी बहन है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि ***"सुजाता मेरी बड़ी बहन थी। मुझसे करीब 1–1.5वर्ष बड़ी थी। घटना वाले दिन बरसात हो रही थी। छाता के लेकर मेरी बहन सुजाता से लड़ाई हो गयी थी। इसी बात से नाराज होकर घर में रखा कीटनाशक दवाई पी ली थी। उससे रात में उसकी मृत्यु***

हो गयी थी। घटना के समय मेरे पिता प्रेमचन्द्र जयपुर में थे। सूचना मिलने पर आये थे, गांव वालों व घरवालो के कहने पर उन्होंने देवेन्द्र के खिलाफ रिपोर्ट लिखा दी थी, जो कीटनाशक घर पर रखा था वह मेरे पापा प्रेमचन्द्र के खेतों में डालने के लिये लेकर रख गये थे। घर की माली हालत अच्छी नहीं थी इसलिये भी मेरी बहन परेशान रहती थी। घटना वाले दिन देवेन्द्र मेरे घर पर नहीं आये थे और न ही घटना के समय वहां पर मौजूद थे। देवेन्द्र को लेकर मेरी मां, मेरे पापा व बहन सुजाता से कभी कोई विवाद नहीं होता था। देवेन्द्र मेरे घर पर पापा प्रेमचन्द्र के बुलाने पर ही आते थे। देवेन्द्र रात में मेरे यहां कभी नहीं गये। मैंने, मेरी बहन सुजाता व मेरे अन्य भाई बहन ने भी देवेन्द्र को मां के साथ कभी कोई गलत हरकत करते नहीं देखा। मां व देवेन्द्र में सामान्य रूप से बातचीत होती थी। मेरी बहन सुजाता ने देवेन्द्र को मां से बातचीत करने के लिये कभी रोका–टोका नहीं और न ही देवेन्द्र ने मेरी बहन सुजाता व हम लोगों को कभी डांटा था, जबकि जब भी घर आते थे, प्यार से बात करते थे। सुजाता ने देवेन्द्र के डांटने से कीटनाशक नहीं खाया था, बल्कि हम लोगों की आपस में छाता को लेकर लड़ाई हो गयी थी। इसी कारण गुस्से में कीटनाशक खा लिया था। मेरी मां से बातचीत करने को लेकर मेरे पापा व देवेन्द्र से कभी कोई वाद विवाद नहीं हुआ।" यह साक्षी वस्तुतः मृतका की छोटी बहन है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक के विपरीत एक भिन्न कथानक प्रस्तुत किया है। इस साक्षी की जिरह का अवलोकन किया जायॅ तो अभियोजन द्वारा की गयी जिरह में इस साक्षी ने कथन किया है कि, *"किसी भी पुलिस वाले ने मुझसे पूछताछ नहीं की थी। मैंने अपने पापा प्रेमचन्द्र को यह बताया था कि दीदी सुजाता ने मुझसे लड़ाई हो जाने के कारण कीटनाशक खा लिया है, लेकिन मेरे पापा ने घर परिवार वालों के कहने से एफ.आई.आर. लिखवा दी थी।"* इस साक्षी की मुख्य परीक्षा व जिरह से स्पष्ट है कि यह साक्षी घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी स्वयं को बता रही है, परन्तु उल्लेखनीय है कि विवेचक के द्वारा विवेचना में इस साक्षी का कोई बयान नहीं लिया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि विवेचक ने अपनी सम्पूर्ण विवेचना में घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में वादी मुकदमा की पत्नी अथवा उसके अन्य पुत्र व पुत्रियों का कोई बयान नहीं लिया है, जो यह दर्शित करता है कि परिवार व आस–पास के लोगों द्वारा बताये गये अवैध संबंध के पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर विवेचक ने

सम्पूर्ण विवेचना की है और सही तथ्य को खोजने का प्रयास विवेचना में नहीं किया गया है।

28. अभियोजन पक्ष की ओर से विवेचक **पी०डब्लू०–10 उपनिरीक्षक संतोष कुमार** को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी के द्वारा अपने **मुख्य परीक्षा** के बयान में कथन किया है कि,"दिनांक 23.09.2018 को मैं थाना छिबरामऊ में उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत था। उस दिन मेरे द्वारा थाना प्रभारी छिबरामऊ के आदेश पर मु०अ०सं० 835/2018 धारा 306 भा०दं०सं० थाना छिबरामऊ बनाम देवेन्द्र उर्फ सरमन की विवेचना मेरे द्वारा ग्रहण की गयी थी। उस दिन मेरे द्वारा सी०डी० 1 किता किया गया था, जिसमें मैंने नकल चिक, चकल रपट, बयान प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक सी०पी० देव सिंह के लेकर उसका सी०डी० में अंकन किया। दिनांक 24.09.2018 को मेरे द्वारा सी०डी० 2 किता किया गया, जिसमें मैंने मुकदमा वादी प्रेमचन्द्र के बयान लेकर सी०डी० में अंकन किया। दिनांक 25.09.2018 को मेरे द्वारा सी०डी० 3 किता किया गया, जिसमें मैंने मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त देवेन्द्र उर्फ सरमन को पश्चिमी बाई पास छिबरामऊ से 8.30 बजे गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में लिया तथा उसके बयान लेकर सी०डी० में अंकन किया। दिनांक 27.09.2018 को मेरे द्वारा सी०डी० 4 किता किया गया, जिसमें मैंने मुकदमा उपरोक्त के वादी प्रेमचन्द्र की निशान देही पर नक्शा नजरी तैयार किया गया, जिस पर मेरे हस्ताक्षर है, जिस पर प्रदर्श क–6 डाला गया। दिनांक 05.10.2018 को मेरे द्वारा सी०डी० 5 किता किया गया, जिसमें मैंने मृतका कु० सुजाता पुत्री प्रेमचन्द्र शाक्य, निवासी ग्राम बड़ेपुर थाना छिबरामऊ जनपद कन्नौज का पंचायतनामा दिनांक 23.09.2018 को समय 11.00 बजे मेरे द्वारा भरा गया था। मैंने प्रेमचन्द्र, राम नरेश, ज्ञान सिंह, बहराम सिंह व बृजलाल को पंचान नियुक्त करते हुए दशा शव, हुलिया शव, चोटें कपड़े का अवलोकन करते हुए राय पंचान लिखी थी। पंचों की राय में कु० सुजाता की मृत्यु का कारण कीट नाशक दवा खाकर आत्म हत्या कर लेना था। मेरी राय पंचों की राय से मेल खाती थी। फिर भी मृतका सुजाता की मृत्यु का सही कारण जानने के लिए शव को एक कपड़े में रख कर सील सर्व मोहर कर मय आवश्यक पुलिस प्रपत्रों के साथ सी०पी० जितेन्द्र व होमगार्ड उमेश को पी०एम० कराने हेतु भेजा था। दिनांक 19.08.2018 को मेरे द्वारा सी०डी० 6

किता किया गया, जिसमें मैंने बयान साक्षी मोहर लाल व प्रताप सिंह के लेकर सी०डी० में अंकन किया। दिनांक 28.10.2018 को मेरे द्वारा बयान पंचान राम नरेश, ज्ञान सिंह, बृजलाल, बहराम सिंह वप्रेमचन्द्र के लेकर सी०डी० में अंकन किया। दिनांक 06.11.2018 को मेरे द्वारा सी०डी० 8 किता किया, जिसमें मैंने मृतका के विसरा को परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया। दिनांक 12.11.2018 को मेरे द्वारा सी०डी० 9 किता किया गया, जिसमें मैंने बयान स्वतंत्र गवाह हरिओम, राम स्वरूप के बयान लेकर तत्पश्चात उपरोक्त तथ्यों व साक्ष्यों के आधार पर मु०अ०सं० 835/2018 धारा 306 भारतीय दण्ड संहिता में अभियुक्त देवेन्द्र उर्फ सरवन के विरूद्ध आरोपपत्र संख्या–608/2018 न्यायालय में प्रेषित किया।"**विवेचक के मुख्य परीक्षा के उक्त साक्ष्य से भी यह स्पष्ट है कि विवेचक ने मृतका सुजाता की मां व उसके परिवार के उसके भाई बहन का कोई बयान विवेचना में संकलित नहीं किया गया।**"

29. साक्ष्यों के उपयुक्त विश्लेषण से न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि मृतका सुजाता को आत्महत्या करने के लिये दुष्प्रेरित करने का तथ्य अभियोजन के द्वारा साबित नहीं किया जा सका है। अतः अवधारणीय बिन्दु संख्या–2 इस प्रकार निर्णीत किया जाता है कि **अभियोजन यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः विफल रहा है कि देवेन्द्र उर्फ सरवन ने वादी मुकदमा की पुत्री मृतका सुजाता को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया हो। अतः साक्ष्यों के उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अभियेाजन के द्वारा अभियुक्त देवेन्द्र उर्फ सरवन पर लगाया गया आरोप अन्तर्गत धारा 306 भारतीय दण्ड संहिता साबित नहीं होता है और अभियुक्त देवेन्द्र उर्फ सरवन दोषमुक्त किये जाने योग्य है।**

आदेश

अभियुक्त **देवेन्द्र उर्फ सरवन** को, उस पर लगाये गये भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306 के आरोप से **दोषमुक्त किया जाता है**। अभियुक्त इस मामले में जमानत पर रहा है। उसके जमानतदारों को प्रतिभू के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्त को निर्देशित किया जाता है कि वह धारा 437A दण्ड प्रक्रिया संहिता का अनुपालन करते हुए **मु. 25,000/–(पच्चीस**

हजार) रूपये का निजी बंधपत्र एवं इतनी ही धनराशि के **दो प्रतिभू अन्दर सप्ताह** दाखिल करे, जिसकी **अवधि 6 माह** तक होगी तथा अपील दाखिल किये जाने की स्थिति में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश के अधीन रहेगी।

दिनांक 07.05.2026 **(रजनीश मोहन वर्मा)**
अपर सत्र न्यायाधीश
एफ.टी.सी. कक्ष संख्या–2, कन्नौज।
J.O.CODE–UP1672

यह निर्णय व आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनाँकित करते हुये सुनाया गया।

दिनांक 07.05.2026 **(रजनीश मोहन वर्मा)**
अपर सत्र न्यायाधीश
एफ.टी.सी. कक्ष संख्या–2, कन्नौज।
J.O.CODE–UP1672